आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
27/12/13	# न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ## आदेश वाद संख्या–आर0एम0–63/13–14 देवनाथ यादव बनाम विश्वनाथ प्रसाद अपीलकर्ता देवनाथ यादव वल्द–स्व0 छोटा यादव ग्राम–नवलपुर थाना–नवलपुर (योगापट्टी) द्वारा यह अपील योगापट्टी अंचल कार्यालय के अतिक्रमण वाद संख्या–01/10–11 विश्वनाथ प्रसाद बनाम शेषनाथ यादव में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में विश्वनाथ प्रसाद वल्द–स्व0 सोबरन साह ग्रा0–नवलपुर थाना–नवलपुर (योगापट्टी) विपक्षी है। अपीलकर्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, योगापट्टी ने उनके विरूद्ध अतिक्रमण वाद प्रारम्भ कर अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को उनके मकान को हटाने हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु पत्र भेजा हैं। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि इनके पास न तो जमीन है न ही दूसरा मकान है। अतः अगर उन्हें इस मकान से बेदखल कर दिया जाए तो उन्हें एवं उनके परिवार को भारी नुकसान उठाना पडेगा। अतः अंचल अधिकारी, योगापट्टी के आदेश को रद् करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, योगापट्टी से प्रतिवेदन मांगा गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण हटाया गया है कि नही। अंचल अधिकारी, योगापट्टी ने अपने पत्रांक 968, दिनांक 28.10.2013 द्वारा निम्नांकित जांच प्रतिवेदन भेजा है :– विपक्षी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा अंचल अधिकारी, योगापट्टी को ग्राम नवलपुर का खाता संख्या–03, खेसरा सं0–1639 रकबा–04डी0 जमीन की बंदोवस्ती हेतु आवेदन पत्र दिया गया। उक्त जमीन की बंदोवस्ती उनके नाम से कर दी गयी लेकिन इस जमीन में से 01डी0 जमीन को श्री शेषनाथ यादव, मेधा यादव एवं देवनाथ यादव पिता–छोटा यादव के द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया गया है। अतः अतिक्रमित जमीन	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, योगापट्टी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर वाद संख्या–01/10–11 प्रारम्भ कर हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच करायी गयी। हल्का कर्मचारी ने जांच प्रतिवेदन दिया है कि विपक्षी विश्वनाथ प्रसाद एवं उनकी पत्नी श्रीमति विधा देवी के नाम से खाता नं0–03 खेसरा नं0–1639/99 रकबा 04डी0 जमीन अंचल वाद संख्या–01/97–98 एवं अनुमंडल वाद संख्या–05/978–98 द्वारा बंदोवस्त की गयी है जिसका जमाबंदी नं0–2087 चल रहा है। उसी खेसरा में से 19 डी0 जमीन अपीलकर्ता देवनाथ यादव एवं उनके भाईयों को बंदोवस्त है, जिसका जमाबंदी नं0–2274 हैं यह भी प्रतिवेदन दिया गया है कि विपक्षी श्री विश्वनाथ प्रसाद को बंदोवस्त जमीन में से एराजी 01 डी0 जमीन पर देवनाथ यादव वगैरह द्वारा कब्जा किया गया है।

अंचल अधिकारी, योगापट्टी द्वारा यह भी प्रतिवेदन दिया गया है कि थाना प्रभारी नवलपुर , हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन को आदेश दिया गया कि दोनों पक्ष के व्यक्तियों के समक्ष पैमाईस कर प्रतिवेदन दें। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थानाध्यक्ष नवलपुर, अंचल निरीक्षक, योगापट्टी विपक्षी विश्वनाथ प्रसाद आवेदक देवनाथ यादव एवं सभी चौहदीदार के सामने प्रश्नगत जमीन की पैमाईस मुश्तकील बनाकर की गयी है। पैमाईस करने पर खेसरा संख्या–1639/99 में 03डी0 जमीन पर विपक्षी विश्वनाथ प्रसाद का कब्जा मकान मय सहन के रूप में पाया गया। शेष 01डी0 जमीन अपीलकर्ता देवनाथ यादव एवं उनके भाई शेषनाथ यादव वो मेघा यादव गसबन कर फूस की झोपडी एवं दिवाल बना लिए है, जिसमें चिन्ह लगाकर खुटा लगवा दिया गया है।

अंचल अधिकारी, योगापट्टी द्वारा यह भी प्रतिवेदन दिया गया है कि विपक्षी विश्वनाथ प्रसाद को बंदोवस्त जमीन में से अपीलकर्ता द्वारा गसबन की गयी 01डी0 जमीन को गसबन से मुक्त करने हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर से अनुरोध किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया लेकिन कभी पुलिस बल की

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अनुपलब्धता या जे0सी0बी0 मशीन उपलब्ध नही होने के काण अतिक्रमण खाली नही कराया जा सका। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया से जे0सी0बी0 मीशन उपलब्ध कराने एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया। अतिक्रमण हटाने की तिथि 31.08.2013 को निर्धारित की गयी।

अंचल अधिकारी, योगापट्टी द्वारा अंत में यह प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिस बल के साथ अतिक्रमण स्थल पर अतिक्रमण हटाने हेतु गये। उन लोगों के वहाँ पहुँचने पर अतिक्रमणकारी देवनाथ यादव वगैरह परिवार के साथ घर के उपर चढ़ गये और पथराव करने लगे। बाद में उन्होंने अपने ही घर में आग लगा दिया। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अंचल अधिकारी, योगापट्टी ने मोबाईल से अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को सारी स्थिति से अवगत कराया। अंचल अधिकारी, योगापट्टी ने अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश से नवलपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी है। इस तरह अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत जमीन में किये गये अतिक्रमण को नही हटाया जा सका है।

अपीलकर्ता द्वारा आज एक आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्होनें अंचल अधिकारी, योगापट्टी के जांच प्रतिवेदन पर आपति दाखिल करने हेतु कुल कागजात का नकल लेना है, अतः आपति पत्र दाखिल करने एवं बहस करने हेतु समय की मांग की गयी है।अंचल अधिकारी, योगापट्टी के पत्रांक 968, दिनांक 28.10.2013 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात दो निर्धारित तिथियों में अपीलकर्ता द्वारा प्रतिउतर दाखिल नही किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा जानबुझकर टालमटोल की नीति अपनाकर वाद का निष्पादन नही होने देना चाह रहे है तथा न्यायालय के बहुमूल्य समय को नष्ट करने की मंशा बनाये हैं। अतः समय आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा वाद में सुनवाई करने तथा अपीलकर्ताओं को अपना पक्ष रखने हेतु आदेश दिया गया।

अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पुनः वरीय विज्ञ अधिवक्ता नही है, इस कारण पक्ष रखने हेतु दूसरी तिथि निर्धारित करने संबंधी बहाना बनाकर बहस नही किया गया। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	किये गये आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, योगापट्टी के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी को बंदोवस्त है जिस में से 01डी0 जमीन अपीलकर्ता एवं उनके भाईयों द्वारा गसबन कर फूस की झोपड़ी बना लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को प्रश्नगत जमीन बंदोवस्त नही है बल्कि उन्होंने विपक्षी की जमीन को अतिक्रमित कर लिया है। उन्होनें स्वयं अतिक्रमण को न हटाकर वृत शांति भंग करने की कोशिश किया है। उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, योगापट्टी के आदेश को बहाल किया जाता है तथा अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, योगापट्टी/अनुमंडल पदाधिकरी, बेतिया एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। 27/12 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 27/12 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	